

पत्रांक- 14 आपदा 01 / 2026

दिनांक- / / 2026

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-..... / / 2026

विषय :- भीषण गर्मी एवं लू (Heat Wave) से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-810 / आ०प्र० दिनांक- 17.03.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि ग्रीष्मकाल में राज्य में भीषण गर्मी के साथ-साथ लू (Heat Wave) चलती है जिसके कारण पेय जल के संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे पशुधन के प्रभावित होने एवं उनकी क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आपके स्तर से पशुधन को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय के संबंध में यथोचित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। उक्त के संदर्भ में निम्नांकित कार्य करना सुनिश्चित करें :-

1. ग्रीष्मकाल में पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु ठोस रणनीति के तहत रोग निरोधक उपाय यथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।
2. सरकारी ट्यूबेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गद्दा खुदवा कर पानी इकट्ठा किया जाए ताकि पशु-पक्षियों को पानी मिल सके।
3. पशुओं को बीमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था।
4. जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय।
5. भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाय एवं लू के दौरान क्या करें, क्या न करें का प्रचार-प्रसार कराया जाय।

अतः उक्त के आलोक में भीषण गर्मी एवं लू (Heat Wave) से बचाव हेतु विभाग द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना में वर्णित दिशा निर्देश के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव पर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक पशुपालन।



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
बी० भी० सी० कैम्पस, पटना-14



ज्ञापांक :- 14 आपदा 01/2026...1485/.../ पटना-15, दिनांक ...15.../...04.../2026

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को निदेश दिया जाता है कि पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1292 (नि०) दिनांक-20.03.2026 में वर्णित निदेश के आलोक में सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी से भीषण गर्मी एवं लू (Heat Wave) से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई पर Follow up करना सुनिश्चित करें (छायाप्रति संलग्न)।

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विभागीय आई० टी० प्रबंधक को सभी संबंधितों को ई-मेल करने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

निदेशक पशुपालन।

2. स्वास्थ्य विभाग

- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों/सदर अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0 भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।
- अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए एवं लू से पीड़ित बच्चों, वृद्धों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगहों के लिए स्टैटिक/चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।
- गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।
- सभी अस्पतालों में स्वच्छ पेयजल, शीतल छत समाधान और शीतल कक्ष (Cool Room) की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही, लू से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज के लिए शीतल कक्ष (Cool Room) में ही व्यवस्था की जाए।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए।
- जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।
- भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एवं इस पर सतत निगरानी रखी जानी चाहिए।

4. शिक्षा विभाग

- स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाएँ। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए।
- सभी स्कूलों एवं परीक्षा केन्द्रों में पेयजल, ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
- गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. समाज कल्याण विभाग

- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करनी चाहिए।

- iii. नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

- i. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढा खुदवा कर पानी इक्कट्टा किया जाए, ताकि पशु-पक्षियों को पानी मिल सके।
- ii. पशुओं के बीमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जाएगी।

7. ग्रामीण विकास विभाग

- i. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों/आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कट्टा कर पशु-पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।
- ii. लू चलने पर मनरेगा की कार्य अवधि को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा अपराह्न 3:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।
- iii. कार्य स्थल पर पेयजल, विशेष आश्रयों की स्थापना एवं लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. पंचायती राज विभाग

- i. विभाग के द्वारा पंचायतों में लू चलने के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।
- ii. गाँवों में पेयजल की व्यवस्था हेतु पंचायतों को कार्य-योजना बनाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है तथा जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

9. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

- i. लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा अपराह्न 3:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।
- ii. कार्य स्थल पर पेयजल की व्यवस्था तथा लू से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- iii. खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेयजल, आईस पैड की व्यवस्था के साथ शैड की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
- iv. साथ ही, लू से बचाव हेतु औद्योगिक मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के बीच जागरूकता कैम्प लगवाया जाए।

10. परिवहन विभाग

- i. लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो, वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।
- ii. सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में पेयजल तथा ओ०आर०एस० के साथ-साथ प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की जाए।

अतः अनुरोध है कि भीषण गर्मी एवं लू से बचने से संबंधित उपर्युक्त निदेशों के अतिरिक्त इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाए।

अनु०-Heat Wave Action Plan (PDF)।

विश्वासभाजन,

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0-20/2015 (खण्ड)/ 810 /आ०प्र० पटना-23, दिनांक-17-03-26
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0-20/2015 (खण्ड)/ 810 /आ०प्र० पटना-23, दिनांक-17-03-26
प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0-20/2015 (खण्ड)/ 810 /आ०प्र० पटना-23, दिनांक-17-03-26
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-असैनिक सुरक्षा आयुक्त, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0-20/2015 (खण्ड)/ 810 /आ०प्र० पटना-23, दिनांक-17-03-26
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र (A, B, C) में दैनिक प्रतिवेदन राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के ईमेल-seoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर भेजने की कृपा की जाय।
अनु०-यथोक्त।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0-20/2015 (खण्ड)/ 810 /आ०प्र० पटना-23, दिनांक-17-03-26
प्रतिलिपि: निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना/निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की दैनिक न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपराह्न 4:00 बजे विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को ईमेल-seoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर भेजने की कृपा की जाय।

सचिव

38

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0-20/2015 (खण्ड)/...810...../आ०प्र० पटना-23, दिनांक-17-03-2026
प्रतिलिपि: सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र
(SEOC)/आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/26
सचिव



Govt. of Bihar Department of Disaster
Management Heat Wave Report (Dated
on

S.No.	Block Name	Number of Deaths due to Heat Wave (Today)	Number of Deaths due to Heat Wave (Cumulative)	Number of deceased person for whom ex-gratia payment done (Today)	Number of deceased person for whom ex-gratia payment done (Cumulative)	Number of persons hospitalized (Today)	Number of persons hospitalized (Cumulative)	Number of hospitalized person for whom payment done (Today)	Number of hospitalized person for whom payment done (Cumulative)	Remarks
-------	------------	---	--	---	--	--	---	---	--	---------

Letter No.:

Date:

Copy:

Signature of District Officers/

Additional District Magistrate(ADM)(Disaster Management)

Officer in Charge(District Disaster Management)/

[DISTRICT]

69